/

Mtrayo

सचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य–प्रदेश

क्रमांक 04/समन्वय/2012/82 भोपाल,दिनांक 07/3/2012

प्रति,

समस्त संभागीय सयुंक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश ।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषयः– लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत बिन्दुओं का पालन करने के सम्बन्ध मे।

सदर्भ :– मध्य–प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 10–8/ 2011/17/ मेडि–1 , दिनांक 01 फरवरी 2012 , क्रमांक एफ 10–8 / 2011 /17/ मेडि–1, दिनांक 27 जनवरी 2012 , एवम एफ 10–8/2011 /17/मेडि–1, दिनांक 27 जनवरी 2012 ।

:–:–:

विषयान्तर्गत में लेख है कि प्रदेश में लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 लागू है । इसमें दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना , राज्य बीमारी सहायता नीधि एवं विकंलागता प्रमाणपत्र प्रदाय करने की सेवाये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है ।

उपरोक्त उल्लैखित स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के सम्बन्ध में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के पालन में शासन स्तर से सदंर्भित तीन दिशानिर्देश पत्र जारी किये गये है । उक्त दिशा निर्देश पत्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वैबसाईट (**http//www.mp. gov.in/ health/**) पर आफिस आर्डर की फाईल मे उपलब्ध है । उक्त आदेशों की प्रतियां निकाल कर अपने कार्यालय में उपलब्ध रखे ।

इसके अतिरिक्त उक्त दिशानिर्देशों को आमजन की जानकारी हेतु अधीनस्थ चिकित्सालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा करे ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबधित सेवाओं की प्रदायगी समय सीमा में सुनिश्चित करावे । इसके साथ साथ अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण भी समय सीमा मे करे तथा उक्त सम्पादित कार्य के अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जावे । शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य का प्रतिवेदन (**Reporting**) जिला मुख्यालय पर एवं राज्य स्तर पर नियत तिथि को भेजें ।

आपको अवगत है कि अधिनियम का पालन नही करने की स्थिति में संबधितों के विरूध्द एक तरफा आर्थिक दण्ड का प्रावधान है । अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नही बरती जावे ।

7/3/12

(जे.एन.कंसोटिया)
स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये,मध्यप्रदेश

पृष्ठा.कमांक 04/समन्वय/2012/ 83 भोपाल , दिनांक 07 मार्च 2012

प्रतिलिपिः'– सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1/ प्रमुख सचिव ,मध्यप्रदेश शासन ,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र ।

2/ सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र ।

3/ संचालक, चिकित्सा सेवाये , संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये मध्यप्रदेश भोपाल ।

4/ समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व) मध्य–प्रदेश ।

5/ समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश ।

6/ समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश ।

7/ समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी (बी. एम ओ) मध्य–प्रदेश ।

7/3/12

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य–प्रदेश